एस0सी0/एस0टी0 वाद सं0-77/17
वीरपुर थाना कांड सं0-49/17

दिनांक-01.02.2019

प्रार्थी प्रियचन्द मेहता न्यायालय में आत्मसमर्पण कर जमानत हेतु आवेदन वकालत नामा के साथ दाखिल किए जिसे प्रचालित करते हुए उनके विद्वान अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी निर्दोष है, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, उन्होंने जानबुझकर जमानत का दुरूपयोग नहीं किया है। दिनांक 05.01.19 को उनके ओर से प्रतिनिधित्व हेतु आवेदन दाखिल किया गया था जिसे खारीज कर दिया गया। न्यायालय द्वारा आदेश दिया जा रहा था सदेह उपस्थित होने के लिए, जिसकी सूचना अभियुक्त को नहीं मिल सकी थी और उनका प्रतिनिधित्व हेतु आवेदन दाखिल कर दिया गया। प्रार्थी स्वतः न्यायालय में आत्मसमर्पण किए हैं और भविष्य में ऐसी गलती नहीं करने का वचन देते हैं न्यायालय का हरशर्त मानने को तैयार है, अतः जमानत पर मुक्त करने का निवेदन करते हैं।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि प्रार्थी के इस कृत्य से न्यायिक कार्य वाधित हुआ है अतः जमानत पर मुक्त करना न्यायोचित नहीं है।

उभय पक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद सूचक महेन्द्र पासवान के लिखित आवेदन के आधार पर प्रार्थी के विरूद्ध धारा 379,385 भा0द0वि0 एवं धारा 3(i)(r) अनु0जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अन्तर्गत यह कांड दर्ज किया गया है। अभिलेख अवलोकन से प्रतित होता है कि प्रार्थी इस वाद में पूर्व से जमानत पर हैं अभिलेख प्रतिलिपि वास्ते लंबित चल रहा था और प्रार्थी का दिनांक 29.10.18 से लगातार प्रतिनिधित्व हेतु आवेदन दाखिल किया जा रहा था वे न तो सदेह उपस्थित हो रहे थे न ही वाद की कार्रवाई आगे बढ़ रही थी तब दिनांक 05.01.19 को उनके ओर से धारा 317 द0प्र0स0 के अन्तर्गत दाखिल आवेदन खारीज कर दिया गया। प्रार्थी जानकारी मिलते ही आज स्वतः न्यायालय में आतमसमर्पण किए हैं और भविष्य में ऐसी गलती नहीं करने का वचन देते हैं। फलस्वरूप उपरोक्त सभी विन्दुओं पर विचार करते हुए प्रार्थी को जमानत पर मुक्त करना न्यायोचित समझता हूँ, तदनुसार प्रार्थी की ओर से दाखिल जमानत आवेदन न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है, अतः प्रार्थी अभियुक्त की ओर से मो0 10,000/- रू0 के व्यक्तिगत एवं समान राशि के दो प्रतिभूओं के साथ बंधपत्र दाखिल करने पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है। तथा निर्देश दिया जाता है कि प्रार्थी अंडर टेकिंग दाखिल करेंगे कि आरोप गठन तक न्यायालय में सदेह उपस्थित रहेंगे तथा उसके बाद लगातार प्रत्येक तिथि को उचित पैरवी करते रहेंगे ताकि न्यायालय के कार्य में बाधा नहीं पहुंचे।

अपर सत्र न्यायाधीश,
प्रथम, सुपौल